न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रतापगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी– गोपाललाल स्वर्णकार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं0 1/2021

1. श्री धनिया पुत्र श्री भीमा मीणा निवासी अरबडा, करसेलिया तहसील धरियावद
2. श्री रामला पुत्र श्री भीमा मीणा निवासी अरबडा, करसेलिया तहसील धरियावद
3. श्री बाबरिया पुत्र श्री भीमा मीणा निवासी अरबडा, करसेलिया तहसील धरियावद
4. श्री धरमा पुत्र श्री मालिया मीणा निवासी अरबडा, करसेलिया तहसील धरियावद
5. श्री गोतिया पुत्र श्री मालिया मीणा निवासी अरबडा, करसेलिया तहसील धरियावद
6. मु. गांगली पुत्री मालिया मीणा निवासी अरबडा, करसेलिया तहसील धरियावद
7. मु. मीरकी पुत्री मालिया मीणा निवासी अरबडा, करसेलिया तहसील धरियावद

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री पांचिया पुत्र श्री गांगला मीणा निवासी अरबडा तहसील धरियावद
2. श्री केसिया पुत्र श्री धुला मीणा निवासी अरबडा तहसील धरियावद
3. तहसीलदार धरियावद

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश न्यायालय तहसीलदार धरियावद प्र0स0 344 दिनांक 21.06.1992

उपस्थितः– 1– श्री शरद चिप्पड, अधिवक्ता अपीलान्ट्स

2– श्री मनोहरलाल रैगर, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय – दिनांक 19.08.2021

अपील अपीलान्ट्स की ओर से विरूद्व रेस्पोडेन्ट्स निम्न प्रकार पेश की है

1. यह कि अपीलान्ट्स का सजरा खानदान निम्न प्रकार हैः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.06.24 10:35:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

भीमा पिता गांगा (फोत)

|—————————|—————————|———————|

मालिया (फोत) धनिया रामला बाबरिया

|

|———————|————————|———————|

ांगली धर्मा मीरकी गोतिया

(पुत्री) (पुत्र) (पुत्री) (पुत्र)

उक्त सजरे अनुसार अपीलान्ट संख्या 1, 2 व 3 श्री भीमा के पुत्र है तथा अपीलान्ट संख्या 4, 5, 6 व 7 भीमा के पौत्र, पोत्रिया है जो कि भीमा के पुत्र मृतक मालिया की संताने है। भीमा की पत्नी पालु का भी देहान्त हो गया है।

2. यह कि अपीलान्ट के कब्जे काश्त की आराजीयात वाके गांव करसेलिया पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ़ में आराजी संख्या 259/3 रकबा 1.10 व आराजी संख्या 259/9 रकबा 1.15 हैक्टर कुल कीता 2 कुल रकबा 3.05 हैक्टर स्थित है। उक्त आराजीयात श्री भीमा पिता गांगा मीणा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है तथा भीमा के देहान्त के बाद अपीलान्ट को उक्त आराजीयात श्री भीमा के वारिसान होने के नाते विरासत से प्राप्त हुई है जिस पर अपीलान्ट काबिज काश्त चले आ रहे है।

3. यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने श्री भीमा के जीवन काल में दिनांक 21.06.1992 को राजस्व अधिकारियो से मिली भगत कर गलत जानकारी देकर श्री भीमा के जीवित होते हुए उन्हे मृत बताकर उनके विधिक वांरिसान बनकर उक्त आराजीयात को फर्जी तरीके से अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा ली है, जबकि भीमा की मृत्यु दिनांक 22.08.2017 को हुई है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 भीमा की संतान नहीं होकर अरबडा निवासी गांगला व धुलाजी की संताने है जिनका अपीलान्ट के परिवार से किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं रहा है मात्र अपीलान्ट की आराजीयात को हडप करनें की नियत से उक्त मिथ्या दस्तावेज पेश कर राजस्व रिकार्ड में भीमा के जीवित रहते उनके बजाय स्वयं का नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.06.24 10:35:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

तहसीलदार धरियावद के यहा से दर्ज करवा लिया इसलिये रेस्पोडेन्ट क्रमांक 1 व 2 के नाम दर्ज इंतकाल संख्या 344 प्रारम्भ से ही शून्य होकर विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4. यह कि वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलान्ट काबिज काश्त है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का कब्जा होते हुए भी उक्त विवादग्रस्त नामान्तरण रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में खोला गया है जो प्राकृति न्याय के सिद्वान्त तथा विधि विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य है। उक्त नामान्तरण दर्ज करने से पूर्व राजस्व कर्मचारी, पटवारी, गिरदावर द्वारा किसी प्रकार की कोई व्यक्तिशः जॉच नही कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1व 2 के साथ मिलीभगत कर उक्त नामान्तरण दर्ज कर लिया जो कि प्रारम्भ से ही शून्य होने से निरस्त होने योग्य है।

5. यह कि अपीलान्ट द्वारा कृषि ऋण की आवश्यकता होने से अपने उक्त राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के देहान्त की जानकारी देकर स्वयं के नाम विरासत से नामान्तरण दर्ज कराने हेतु राजस्व रिकार्ड देखने पर ज्ञात हुआ कि रेस्पोडेन्ट्स ने उक्त आराजीयात को काफी समय पूर्व ही भीमा को फोत बताकर तथा स्वयं को भीमा का विधिक उत्तराधिकारी बताकर गलत तरीके से अपने नाम दर्ज करवा लिया है। जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 14.01.2021 को राजस्व नकले प्राप्त की तथा नकले प्राप्त होते ही अवलिम्ब यह अपील पेश की है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा खोला गया नामान्तरण आदेश खारीज फरमाया जावे तथा नया नामान्तरण खोला जाकर उसमे अपीलान्ट्स का नाम दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली वास्ते जवाब मुकर्रर की गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेन्ट्स अनुपस्थित। अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में उन्हे [illegible] की [illegible] प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर अपीलान्ट्स द्वारा सहमति दी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 15.03.2021 को जवाब प्रस्तुत किया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.06.24 10:35:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

दिनांक 28.07.2021 को जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। नियत दिनांक को बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का गहन अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलान्ट्स की बहस पर मनन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि श्री भीमा पिता गांगा मीणा निवासी अरबडा के नाम की आराजीयात उनके नाम राजस्व रिकार्ड में किस प्रकार दर्ज हुई उसकी जानकारी उन्हे नहीं है। रेस्पोडेन्ट्स का अपने जवाब में यह भी कहना है कि उक्त विवादित आराजीयात से उनका कोई सरोकार नहीं है ना ही उक्त आराजीयात उनके कब्जे काश्त की रही है। सहवन से विवादित भूमि उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई हो तो उसे भीमा पिता गांगा के विधिक वारीसान के नाम दर्ज करने मे उन्हे कोई एतराज नही है।

अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर ग्राम करसेलिया पटवार हल्का गोपालपुरा का नामान्तरकरण संख्या 344 दिनांक 21.06.1992 खारीज किया जाता है।

तहसीलदार धरियावद को निर्देशित किया जाता है कि मृतक भीमा पिता गांगा के विधिक वारीसानों की विधिक जॉच कर नामान्तरण दर्ज करने की कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2021 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(गोपाललाल स्वर्णकार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.06.24 10:35:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner